

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं. 142/2016ए अन्तर्गत धारा 111,128 एल.आर.एक्ट

लाखाराम वगैरा बनाम तेजाराम वगैरा

पीठारीन अधिकारी -श्री भागीरथराम, आर.ए.एस

प्रार्थीगण वकील :- श्री बाबूलाल जाणी

विप्रार्थीगण वकील :- श्री मोहनसिंह सोढा(विप्रार्थी सं. 2 से 4)

निर्णय

दिनांक - 14.07.2017

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत -2017 कैम्प चौहटन मे पेश हुई। प्रार्थीगण एव विप्रार्थीगण उपस्थित। विप्रार्थीगण के नोटिस बाद तामिल प्राप्त जो पत्रावली शामिल किये गये। विप्रार्थी सं. 2 से 4 की ओर से अधिवक्ता श्री मोहनसिंह सोढा ने वकालतनामा मय जवाब पेश किया। जो पत्रावली शामिल किया गया। वादग्रस्त खसरों के संबंध में तहसीलदार चौहटन से मौका रिपोर्ट भेजने हेतु लिखा गया। प्रस्तुत प्रकरण में संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र मे कथन किया है कि सरहद मौजा सुरते का तला, पटवार क्षेत्र तारातरा मठ, तहसील चौहटन में खेत खसरा सं. 1423/562 रकबा 292.00 बीघा, खसरा सं. 560 रकबा 00.11 बीघा, खसरा सं. 561 रकबा 00.12 बीघा स्थित है। प्रार्थीगण के खेत के पास विप्रार्थीगण उक्त खातेदारी भूमि के पडोसी है। जिनके खेत प्रार्थीगण के खेत के पडोस में स्थित होने के कारण बरसात के समय वक्त काशत अक्सर विप्रार्थीगण सेढो को लेकर विवाद करते रहते है। प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगड्डी पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहता है। प्रार्थीगण ने पेमाईश एवं नेखमबन्दी करने का निवेदन किया है। प्रार्थीगण की दरखास्त दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रार्थीगण के वक्त काशत प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण के मध्य सीमाओ को लेकर विवाद बना रहता है, इस कारण प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि की पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते है। प्रार्थीगण विवादित भूमि के खातेदार काशतकार राजस्व रेकार्ड मे दर्ज होने के कारण प्रार्थीगण की दरखास्त स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण की दरखास्त स्वीकार की जाकर विवादित भूमि सरहद मौजा सुरते का तला, पटवार क्षेत्र तारातरा मठ, तहसील चौहटन में खेत खसरा सं. 1423/562 रकबा 292.00 बीघा, खसरा सं. 560 रकबा 00.11 बीघा, खसरा सं. 561 रकबा 00.12 बीघा की पेमाईश एवं नेखमबन्दी करने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक तारातरा को 500/- रुपये फीस पर मौका कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। भूमापक कर्ता को निर्देश दिये जाते है कि वो दोनो पक्षो के रूबरू किसी मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पैमाईश करे व भूमापक कर्ता का यह भी निर्देश दिये जाते है कि न्यायालय से स्थगन आदेश न हो तो वो दोनो पक्षो के रूबरू विवादित भूमि की मौके की स्थिति व कब्जे काशत मे परिवर्तन किये बिना मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पेमाईश करे व नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करे वक्त पेमाईश हल्का पटवारी को साथ रखे। राजस्व आवेदन सं. 147/16 अनवान खेता वगैरा बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार में उभयपक्षकारान द्वारा राजीनामा कर कब्जा अनुसार भूमि का विनिमय कर लिया है। विनिमय की तरमीम अनुसार उपरोक्त वादग्रस्त खेतों की नेखमबन्दी की जावे।

मौके कमीश्नर को आवश्यकता होने पर संबंधित पुलिस थाना से पुलिस जाब्ता प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहरीर जारी हो। कमीश्नर को कमीश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे।

पत्रावली फौसल सुमार होकर के बाद तामिल के दाखिल दफतर हो।

आदेश न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट सेडवा मे दिनांक 15.07.2017 को सुनाया गया।



(भागीरथराम)

उपखण्ड अधिकारी चौहटन

चौहटन

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) चौहटन जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2017/ 1856

दिनांक:- 26/7/17

प्रेषित : भू- अभिलेख निरीक्षक
तारातरा

प्रार्थीगण:-

1.लाखाराम 2.केसरा 3.भूरा पि.
उमाराम, जाति जाट
निवासी सुरते का तला
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर।

विप्रार्थीगण :-

1.तेजाराम पुत्र विरधाराम एवं
विप्रार्थी सं. 2 से 41
निवासी सुरते का तला
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम वास्ते करने नेखमबन्दी बाबत।

राजस्व आवेदन सं. 142/2016 ए

दिनांक : 14-07-2017

आदेश

उपरोक्त प्रकरण में आपको सरहद मौजा सुरते का तला, पटवार क्षेत्र तारातरा मठ, तहसील चौहटन में खेत खसरा सं. 1423/562 रकबा 292.00 बीघा, खसरा सं. 560 रकबा 00.11 बीघा, खसरा सं. 561 रकबा 00.12 बीघा सरहद भूमि की नेखम पेमाईश जरिये पत्थरगढी करने हेतु 500/- कमीश्नर फीस पर मौका कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की पेमाईश आप अपने स्तर पर टीम गठित कर दोनों पक्षों को विधि सम्मत नोटिस के जरिये सूचित कर यदि न्यायालय से स्थगन आदेश न हो तो विवादित भूमि की मौके की स्थिति व कब्जे काश्त में परिवर्तन किये बिना पेमाईश कर नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में आवश्यक पेश करे। मौका कमीश्नर को आवश्यकता होने पर संबंधित पुलिस थाना से पुलिस जाब्ता प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। कमीश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर अदा करेगा। मौका कमीश्नर को निर्देश दिये जाते हैं कि राजस्व आवेदन सं. 147/16 अनवान खेता वगैरा बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार में उभयपक्षकारान द्वारा राजीनामा कर कब्जा अनुसार भूमि का विनिमय कर लिया है। विनिमय की तरमीम अनुसार उपरोक्त वादग्रस्त खेतों की नेखमबन्दी की जावे।



क्रमांक/भू.अ./2017/ 1857 to 1861

प्रतिलिपि:-

- 1 तहसीलदार चौहटन
- 2 पटवार हल्का तारातरा मठ को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रिकॉर्ड उपस्थित होकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावे।
- 3 प्रार्थीगण लाखाराम वगैरा
- 4 विप्रार्थीगण तेजाराम वगैरा
- 5 थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड़/सेड़वा/धोरीमन्ना/बाखासर

(भावीरय्याम)

उपखण्ड अधिकारी चौहटन
उपखण्ड अधिकारी

दिनांक:-

26/7/17 चौहटन

(भावीरय्याम)

उपखण्ड अधिकारी चौहटन
उपखण्ड अधिकारी

चौहटन